S-04

नवम्बर, 2008
NOVEMBER, 2008

बीमा सर्वेक्षकों के लिए परीक्षा
मरीन पोतकाय

EXAMINATION FOR INSURANCE SURVEYORS
MARINE HULL

समय : 3 घंटे] [कुल अंक : 100
Time: 3 Hours] [Total Marks : 100

किन्हीं आठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न के 16 अंक हैं परन्तु यह अनिवार्य नहीं। शेष सभी प्रश्नों के लिए प्रत्येक 12 अंक हैं।

Answer **eight** Questions only. Question **one** carries 16 Marks but this is not compulsory. All other questions carry 12 marks each.

Marks

(प्रत्येक के 8 अंक)

1. इंस्टिट्यूट फ़िशिंग व्हेसल्स क्लॉज़ेज़ 20.07.87 के तहत आवरित एक मछुआरी पोत को एक गंभीर दुर्घटना का सामना करना पड़ा है, जिससे उसे भारी क्षति पहुँची है।
   क) घटना की जानकारी दिये जाने के बाद बीमा लेखक को जिस प्रारंभिक दावा प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिये, उसकी व्याख्या करें।
   ख) सर्वेक्षणों से संबंधित आवश्यकताएँ क्या हैं?

1. A fishing vessel insured under Institute Fishing Vessels Clauses, 20.07.87 has met with a major casualty and is severly damaged. 8 each
   a) Explain the initial claims procedure that the underwriter should follow when advised of the incident.
   b) What are the requirements regarding surveys?

(प्रत्येक के 6 अंक)

2. इंस्टिट्यूट टाइम क्लॉज़ेज़ हल्स 1.10.83 के तहत निम्नांकित के लिये एक पोतकाय बीमालेखक की देयता क्या है :-
   क) हल तथा मशीनरी को हुई आंशिक क्षति की मरम्मत
   ख) ऐसी क्षति जिसकी मरम्मत नहीं हुई हो?

2. Under Institute Time Clauses Hulls 1.10.83, what is the liability of hull underwriter for : 6 each
   a) repair of partial damage to hull and machinery
   b) unrepaired damage.

3. पोतकाय बीमा के संदर्भ में इंस्टिट्यूट टाइम क्लॉज़ेज़ हल्स 1.10.83 की 'समाप्ति धारा' के प्रावधान क्या हैं? 12

3. What are the provisions of "Termination Clause" in hull insurance under Institute Time Clauses - Hulls, 1.10.83 ? 12

4. निम्नांकित के अर्थ तथा विस्तार की व्याख्या करें : (प्रत्येक के 4 अंक)

क) साल्वेज प्रभार

ख) सामान्य बीमा क्षति व्यय

ग) सू एंड लेबर प्रभार

4. Explain the meaning and scope of :- 4 each

a) Salvage Charges

b) General Average Expenditure

c) Sue and Labour Charges.

5. **कारण सहित** बताएँ कि निम्नलिखित कथन **सत्य हैं** या **असत्य** : (प्रत्येक के 3 अंक

क) जब कोई पोत किसी बीमित दुर्घटना के फलस्वरूप 'आउट ऑफ़ कमीशन' हो (नौयात्रा पर न होना) तब भी बीमाकर्ता कप्तान, अधिकारियों तथा पोतकर्मियों के वेतन तथा रखरखाव के लिये जिम्मेवार होगा।

ख) समुद्री यात्रा के दौरान जिस माल के इधर से उधर हो जाने के कारण पोत खतरनाक रूप से एक ओर झुक गया हो, उस माल को दुबारा व्यवस्थित रूप से लादने के लिये पोत को बंदरगाह में रखे जाने का खर्च सामान्य बीमा क्षति में देय होगा।

ग) पोत के पेंदा-स्पर्श के पश्चात् पुन: तैराने की प्रक्रिया के दौरान पोत के टेल-शाफ्ट को पहुँचने वाली क्षति सामान्य बीमा क्षति में मान्य **नहीं** होगी।

घ) बीमाकर्ता बेमरम्मत क्षति के लिये जिम्मेवार नहीं होगा, यदि बाद में पॉलिसी अवधि के दौरान ही पोत की समग्र हानि हो जाय।

5. **Giving reasons**, state whether the following statements are **true** or **false** :- 3 eac

a) When a ship is out of commission as a result of an insured casualty, insurers will also be liable for wages and maintenence of master, officers and crew.

b) Expenses of putting into port to re-stow cargo which has shifted during the voyage and has caused a dangerous list of vessel will be allowed in general average.

c) Damage to the vessel's tail shaft sustained during refloating operations following stranding of the vessel will **not** be allowed in general average.

d) Underwriter shall not be liable for unrepaired damage in the event of subsequent total loss of the vessel sustained during the policy period.

6. पोतकाय दावों के निर्धारण में ड्राइ-डॉकिंग के खर्चों से कैसे निपटा जाता है? 12

6. How are dry-docking expenses treated in the assessment of hull claims? 12

7. किसी पोतकाय पॉलिसी के अंतर्गत आई. टी. सी हल्स 1.10.83 की तीन-चौथाई टक्कर देयता धारा किस प्रकार एक बीमाकर्ता की देनदारी को बढ़ा देती है। धारा के प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण दें। 12

7. How does the three-fourths collision liability clause of ITC - Hulls 1.10.83 extend the liability of an insurer under a hull policy? Summarise the provisions of the clause. 12

8. निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइएं :- (प्रत्येक के 6 अंक)

क) आई. टी. सी. हल्स 1.10.83 की कटौती-योग्य धारा

ख) आई. टी. सी. हल्स 1.10.83 की बीमाकृत का कर्तव्य (सू एंड लेबर) धारा।

8. Briefly explain the following : 6 each

a) Deductible Clause of ITC-Hulls 1.10.83

b) Duty of Assured (Sue and Labour) Clause of ITC-Hulls 1.10.83.

9. वर्गीकरण (क्लासिफ़िकेशन) सोसाइटी क्या है तथा पोतों के लिये नियतकालिक (समय-समय पर) वर्गीकरण सर्वेक्षणों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? 12

9. What is classification Society and why is there need for periodic Classification Surveys of Ships? 12

10. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें : (प्रत्येक के 6 अंक)

क) पोतकाय बीमा के लिये पोत का मूल्यांकन

ख) सिस्टरशिप

10. Write short notes on the following :- 6 each

a) Valuation of ship for hull insurance

b) Sistership.

------ समाप्त -----

---- THE END ----